Jan. to March, 2014

Rajasthan Police Academy

News Letter

इस अंक में ...

गणतंत्र दिवस समारोह

संगठित अपराध पर भा.पु.से. का वर्टिकल इन्टरएक्शन कोर्स

साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप

महिला आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण

मानवाधिकारों पर एडवांस लेवल ट्रेनिंग

मृतक आश्रितों को सहायता

निदेशक की कलम से ...

पुलिस कार्य अन्य सेवाओं की तुलना में अधिक चुनौतिपूर्ण माना जाता हैं। प्रतिदिन पुलिसकर्मियों को नई चुनौती से मुखातिब होना पड़ता है। पुलिसकर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक चुनौती का मुकाबला पूर्ण दक्षता से करें। जनता की पुलिस से एक अपेक्षा यह भी रहती है कि उनकी समस्या का त्वरित निवारण किया जाये। चुनौतियों एवं जन अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस को दक्ष, कार्यशील एवं व्यवहारिक बनाया जाना प्रशिक्षण की प्रमुख चुनौती है। वर्तमान समय में पुलिस कार्य के अतिरिक्त पुलिस के सामाजिक दायित्व भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वरिष्ठ नागरिको, महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के साथ व्यवहार करते समय पूर्ण शिष्टता एवं शालीनता का प्रदर्शन, असहाय स्थिति में पाये जाने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना तथा अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उचित सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण के माध्यम से जन अपेक्षाओं तथा परिपक्व प्रजातन्त्र की भावना के अनुरूप बनाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व में प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों में लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वांछित सुधार लाया जा रहा है। इस निमित इस वर्ष राजस्थान पुलिस अकादमी में बी.पी.आर.एण्ड डी. तथा अन्य संगठनों के सहयोग से 29 विषयों पर लघु प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। कुछ लघु प्रशिक्षण एक से अधिक बार भी आयोजित किये जायेंगे। अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक लघु प्रशिक्षण की गुणवता पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षणों में सुधार के लिए प्रतिभागियों से प्रत्येक वक्ता एवं विषयवस्तु के सम्बन्ध में फीड बैक लिया जाकर सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

भविष्य के प्रशिक्षणों के अनुरूप अकादमी में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है। अकादमी में चार करोड़ की लागत से 200 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता का बनने वाला बैरेक, तीन करोड़ की लागत से 60 अधिकारियों के लिये बनने वाला हॉस्टल, 1.2 करोड़ की लागत से बनने वाला होर्स राईडिंग स्कूल, 60 लाख की लागत से बनने वाला बैण्ड ट्रेनिंग स्कूल, 68.89 लाख की लागत से पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिये हॉस्टल, 25 लाख की लागत से छोटे बच्चों के लिये क्रेच का कार्य प्रगति पर है। अकादमी स्थित चिकित्सालय में 44.75 लाख की लागत से सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अकादमी स्थित कॉलोनी के लिये 21 करोड़ की लागत से बीसलपुर से पानी लाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। पुलिस को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सक्षम बनाने में आप सभी से सुझाव आमंत्रित है।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

गणतंत्र दिवस समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में गणतन्त्र दिवस प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक मनाया जाता है। इस अवसर पर सम्पूर्ण परिसर में शानदार सजावट की जाती है तथा मुख्य भवनों के सम्मुख तथा स्टेडियम व अकादमी प्रवेश द्वार पर रंगोली बनायी जाती है। इस वर्ष भी गणतन्त्र दिवस समारोह पूर्ण हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया तथा अकादमी परिसर की विशेष सजावट की गई। प्रशासनिक भवन, मनु सदन, स्टेडियम एवं हॉस्टल्स में रोशनी से सजावट की गई। मुख्य समारोह प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ हुआ। अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी को परेड द्वारा सलामी दी गई तत्पश्चात उनके द्वारा झण्डारोहण किया गया। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। समारोह में अकादमी स्टाफ, प्रशिक्षु एवं अकादमी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक शामिल हुये। इस अवसर पर बोलते हुये निदेशक महोदय ने गणतन्त्र दिवस की बधाई दी तथा सभी को अपने मन में देश सेवा का जज्बा पैदा करने का सन्देश दिया। प्रशिक्षुओं द्वारा देश भक्ति के भाव विभोर करने वाले गीत प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवर्ष अकादमी में स्वाधीनता दिवस एवं गणतन्त्र दिवस पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष सम्मानित होने वालो में श्री रमेश सैनी, उप निरीक्षक, श्री बनवारी लाल प्लाटून कमाण्डर, श्री रोहिताश सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्री गिरधारी सिंह, श्री कैलाश चन्द, श्री नेतराम, श्री राधेश्याम हैड कानि0 तथा कानि0 में श्री नेमीचन्द, श्री पप्पूलाल, श्री महेश कुमार, श्री बहादुर सिंह, श्री राजकुमार एवं श्रीमती कुसमलता थे जिन्हें पाँच–पाँच सौ रूपये मय प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये।

इस अवसर पर मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में श्री रामवतार वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो, श्री सुभाष चन्द वरिष्ठ लिपिक, श्री वासुदेव मल्होत्रा संविदा कर्मी, श्री छोटीलाल कुक, श्री सुनील कुमार सईस, श्री गिरधारी लाल धोबी एवं श्री छोटेलाल सफाई कर्मी शामिल थे। इन्हें भी प्रत्येक को पाँच सौ रूपये मय प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये।

फुटबाल मैच में स्टॉफ टीम ने बाजी मारी

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस एवं गणतन्त्र दिवस पर प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों के बीच मैच का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष दोनों टीमें अकादमी के स्टेडियम में फुटबाल मैच के लिए आमने सामने थी। एक तरफ प्रशिक्षुओं का जोश था तो दूसरी तरफ स्टॉफ टीम में 30 वर्ष से लेकर 56 वर्ष तक के लोग थे। प्रशिक्षुओं को लग रहा था कि उम्र पाये हुये लोग उनकी चपलता के सामने बिल्कुल नहीं टिक पायेंगे। स्टॉफ टीम अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर जीत के लिये आश्वस्त थी। स्टॉफ टीम का नेतृत्व श्री राजेन्द्र चौधरी उप अधीक्षक पुलिस कर रहे थे। उनके साथ उनके पुराने साथी हैड कानिस्टेबल रोहिताश सिंह, श्री रजवन्त हैड कानिस्टेबल, श्री विनोद शर्मा, पुलिस निरीक्षक, श्री जितेन्द्र, कम्पनी कमाण्डर, श्री धीरज वर्मा, उप निरीक्षक, कानिस्टेबल श्री रामराज, सरदार सिंह, सम्पत सिंह, शकील, सम्पत आदि थे। कानिस्टेबल बनवारी ने गोल कीपर की जिम्मेदारी सम्भाली। इस बार के मैच में दोनों टीमें ही बराबर नजर आ रही थी। प्रशिक्षु एवं स्टॉफ के सदस्य अपनी–अपनी टीम का हौंसला बढ़ाने में लगे हुये थे। मैच शुरू हुये लगभग दस मिनट हो चुके थे कि स्टॉफ की तरफ से प्रशिक्षु टीम पर पहला गोल दाग दिया गया। पुनः मैच शुरू हुआ और दूसरा गोल भी स्टॉफ टीम ने प्रशिक्षु टीम पर कर दिया। प्रशिक्षु दो गोल के बाद भी पूर्ण जोश से मैदान में डटे हुये थे। उन्होंने एक गोल स्टॉफ टीम के विरुद्ध कर दिया। हाफ टाईम तक स्टॉफ टीम प्रशिक्षु टीम से 2–1 से आगे थी।

हाफ टाईम के बाद दोनों टीमें पुनः पूर्ण जोश के साथ खेल रही थी कि इतने में ही स्टॉफ टीम ने प्रशिक्षु टीम पर एक गोल और दाग दिया लेकिन प्रशिक्षुओं ने पुनः एक गोल कर चौंका दिया। स्टॉफ के सदस्यों की सांसें थमी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि विरोधी टीम उन पर निरन्तर हमला कर रही है और कभी भी अगला गोल कर सकती है। बनवारी ने गोल कीपर के रुप में अपनी दक्षता दिखाते हुये प्रशिक्षुओं के अनेक हमलों को नाकाम कर दिया। मैच 3–2 के मुकाबले स्टॉफ टीम ने जीत लिया। इस जीत के प्रमुख हीरो श्री रजवन्त व शकील रहे। श्री राजेन्द्र चौधरी तथा श्री रोहिताश अपने पुराने दमखम में दिखे। श्री धीरज वर्मा ने भी प्रशिक्षुओं के अनेक हमलों को नाकाम किया।

फुटबाल मैच से पूर्व विभिन्न ग्रुपों में रस्सा–कस्सी प्रतियोगिता भी करवायी गई जो काफी रोचक रही।

साईबर क्राईम अवेयरनेस वर्कशॉप

राजस्थान पुलिस अकादमी में 5वीं साईबर क्राईम अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन दिनांक 12.02.2014 एवं 13.02.2014 को किया गया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, अकादमी के निदेशक, श्री भगवान लाल सोनी, डी.एस.सी.आई. के वरिष्ठ निदेशक श्री संजय बहल, डी.एस.सी.आई. के निदेशक श्री विनायक गौड़से उद्‌घाटन सत्र में उपस्थित थे। इस कार्यशाला में पुलिस के अतिरिक्त न्यायपालिका एवं अभियोजन के अधिकारी भी शामिल हुये। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने कार्यशाला में श्रीमान महानिदेशक पुलिस, डी.एस.सी. आई. के प्रबन्धन के सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में पूरे मनोयोग से शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को समस्त शंकाओं पर अधिकतम प्रश्न करने के लिये भी कहा।

उद्‌घाटन सत्र में महानिदेशक पुलिस, श्री ओमेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि आज के युग में साईबर अपराध प्रमुख खबरें बन रहे हैं। हमें इन अपराधों से निपटना होगा क्योंकि इस प्रकार के अपराध अन्य अपराधों से भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के परिवादों के समाधान के लिए हम क्या कर सकते है और हमारे पास में कैसे संसाधन उपलब्ध है, की समीक्षा की जानी है। हमें डी.एस.सी.आई. के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन है, वह कम्प्यूटर अपराध का निशाना बन सकता है। उन्होंने आगे कहा हमें इस क्षेत्र में निरन्तर सीखने की आवश्यकता है ताकि भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। इस प्रकार के अपराधों के नियन्त्रण एवं अपराधियों का पता लगाने के लिए साईबर तकनीक का प्रयोग आना चाहिए। आज के युग में ऑफिसियल वेबसाईट हैक करना, वेबसाईट पर धार्मिक उन्माद एवं द्वेषता फैलाने वाले नारे डालना, लॉटरी आदि के लालच देकर ठगी करना, लोगों में साम्प्रदायिक वैमनष्य फैलाना आदि के लिए सोशियल साईट काम में ली जा रही है। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए हमें इस कार्यशाला का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए डी.एस.सी.आई. तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय को धन्यवाद भी दिया।

इस अवसर पर बोलते हुये श्री संजय बहल ने कहा कि आज हम डिजीटल युग में रह रहे हैं जहाँ इससे मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही तकनीकी से मिलने वाली चुनौतियाँ प्रमुख समस्या बन गई हैं। डी.एस.सी.आई. के निदेशक, श्री विनय गौड़से ने बताया कि साईबर क्राईम अवेयरनेस की प्रथम कार्यशाला गत वर्ष गुजरात में हुई थी। इन कार्यशालाओं का प्रमुख उद्‌देश्य पुलिस एवं न्यायपालिका तथा अभियोजन के अधिकारियों की क्षमता संवर्धन करना है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आठ स्थानों पर साईबर प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी हैं तथा अब तक साईबर प्रयोगशालाओं के माध्यम से तीस हजार पुलिस कर्मचारियों को साईबर अपराधों पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ भी

मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेडिंग पर हस्ताक्षर किये जा चुके है। उन्होंने बताया की डी.एस.सी.आई. के द्वारा साईबर क्राईम मेनुअल तथा दो पुस्तकें सम्पादित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि साईबर अपराधों के लिए उपलब्ध फोरेन्सिक टूल्स, जब्ती की प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों की जानकारी के साथ ही अनुसंधान प्रक्रिया सिखाने के लिए डी.एस.सी.आई. सेवा प्रदाता के रूप में काम करती है।

इस कार्यशाला में साईबर अपराध से जुड़े विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गये। Role of CERT. in Cyber Crimes Prevention पर डॉ. ए.एस. काम्बले द्वारा प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। Emerging trends in cybercrimes and difficuities in the investigation of cybercrimes पर श्री नन्दकिशोर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण तथा श्री वी.वेक्टेश, वरिष्ठ प्रबन्धक डी.एस.सी.आई. ने विषय पर जानकारी देते हुये प्रतिभागियों की शंकाओं के समाधान बताये। Online Frauds, ATM Frauds, Credit card Frauds- how to investigate पर श्री आलोक त्रिपाठी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस., की उपस्थित में श्री जी.डी. बडाया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा श्री विशाल बंसल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। Lawful interception of voice and data in the investigation of Crimes-Technical solutions & legal procedures पर श्री कपिल गर्ग, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एस.सी.आर.बी के निर्देशन में श्री अजय दत्त, डाटा इन्फोसिस लिमिटेड तथा श्री समीर दत्त, फोरेन्सिक्स गुरु ने विस्तार से चर्चा की। Use of Technology in detection of crimes पर श्री वेंकटेश मूर्ति एवं श्री आलोक गुप्ता ने जानकारी प्रदान की। प्रथम दिवस के अन्तिम सत्र में श्री योगेन्द्र यादव एवं श्री विभु आनन्द ने साइबर फोरेन्सिक टूल्स का प्रदर्शन कर उनकी जानकारी प्रदान की।

Search and Seizure of digital evidence with examples of seizure equipments & demonstration पर श्री नन्दकिशोर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण के नेतृत्व में श्री ओमप्रकाश उप निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, श्री सतीश कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक सी.डी.एस.सी. एवं श्री वेंकटेश मूर्ति द्वारा प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई। श्री डी.सी. जैन महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेन्ज, श्री समीर दत्त एवं श्री कपिल नगाइच ने Mobile phone crime investigation–Mobile Forensics–Sim, Memory, etc–Device Forensics-including Chinese devices–Tower dump & CDR analysis विषय पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

कार्यशाला में आई.टी.एक्ट 2000 तथा उसमें हुये संशोधनों पर तथा साईबर कैफे के संचालन सम्बन्धी निर्देशों, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों तथा सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। कार्यशाला के समापन सत्र में श्री मनोज भट्ट महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ने साईबर अपराधों की चुनौतियों का उल्लेख करते हुये कार्यशाला आयोजन के लिए डी.एस. सी.आई. को धन्यवाद दिया।

विदाई

श्री किशोर सिंह हैड कॉनिस्टेबल राजस्थान पुलिस अकादमी से दिनांक 28.02.2014 को सेवानिवृत्त हुए। अकादमी स्टॉफ द्वारा उन्हें भावभिनी विदाई दी गई। श्री किशोर सिंह की सेवायें अकादमी के रिसाला में बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की रही है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप ही उन्हें पुलिस पदक प्रदान किया गया। अकादमी परिवार श्री किशोर सिंह के सुखद सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।

महिला आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण

निर्भया मामले के पश्चात् देशभर में दी गई उग्र अभिव्यक्ति के फलस्वरूप देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के विभिन्न प्रयास नवीन रूप से शुरू किये गये। उक्त कड़ी में ही राजस्थान में नई सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हुये महिलाओं को आत्मरक्षा के लिये तैयार करने का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्णय लिया गया कि महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला आत्मरक्षा बाबत प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 28.01.2014 से 11.02.2014 तक दिया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों से 150 महिला कानिस्टेबल शामिल हुई। इन प्रशिक्षित महिला कानिस्टेबलों के द्वारा विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण श्री भगवान लाल सोनी निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी के नेतृत्व एवं निर्देशन में सम्पन्न हुआ। उन्हानें अपने सत्र सेल्फ डिफेन्स में प्रतिभागियों को कहा कि प्रत्येक महिला विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि वह अपने आत्मविश्वास को बुलन्द रखे। कार्यशाला में श्रीमति मारूती जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षण की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुये सभी प्रतिभागियों को महिला सुरक्षा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने घरेलू हिंसा तथा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। कार्यशाला में श्रीमती मरियम इसरत बेग ने भारतीय दंड संहिता में वर्णित महिला सुरक्षा से सम्बन्धित सभी कानूनी प्रावधानों को विस्तार से समझाया। श्री धीरज वर्मा उपनिरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी ने दंड प्रक्रिया संहिता में महिला गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नवीनतम संशोधनों की जानकारी प्रदान करते हुये साक्ष्य अधिनियम में हुये संशोधन के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की व उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में भी बताया। प्रोफेसर अनिल मेहता ने सकारात्मक दृष्टिकोण व आत्म विश्वास की महता बताते हुये प्रतिभागियों को जीवन में दृढ़ निश्चयी होने का आह्वान किया। लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो) के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रतिभागियों को श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा दी गई। कार्यशाला में मानवधिकारों के परिपेक्ष्य में महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर आने वाली समस्याओं व उनके निवारण, विशाखा गाईडलाईन, मानव तस्करी, किशोर न्याय अधिनियम, सेल्फ डिफेन्स, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, (लिंग निर्धारण का वर्जन) अधिनियम 1994, बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम तथा महिलाओं से सम्बन्धित कानून में नवीनतम संशोधनों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्याशाला के समापन सत्र में श्री ओमप्रकाश, उपनिदेशक एवं श्रीमती लवली कटियार पुलिस उपायुक्त (यातायात) जयपुर द्वारा प्रतिभागियों से अपने जिलों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण देने का आह्वान किया गया।

कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के कमाण्डो द्वारा जूड़ो कर्राटे व मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया।

संगठित अपराध पर भा.पु.से. का वर्टिकल इन्टरएक्शन कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में बी.पी.आर.एण्ड डी. के सौजन्य से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का दिनांक 24.02.2014 से 01.03.2014 तक वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स आयोजित किया गया। इस कोर्स में राजस्थान एवं अन्य राज्यों से आये हुये पुलिस अधीक्षक से लेकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के 17 अधिकारियों ने भाग लिया। कोर्स में संगठित अपराध से जुड़े विभिन्न विषयों पर देशभर से आमंत्रित विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। कोर्स के प्रारम्भ में निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री भगवान लाल सोनी ने सभी प्रतिभागियों का कोर्स में स्वागत किया तथा संगठित अपराध पर अपने अनुभव साझा किये। कोर्स के उद्घाटन सत्र में श्री एम.एल. शर्मा, सेवानिवृत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तथा पूर्व आयुक्त सी.आई.सी. ने संगठित अपराध पर बोलते हुये संगठित अपराध गिरोहों की कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा संगठित अपराध गिरोहों को पुलिस के लिए प्रमुख चुनौती बताया। Organized Crime as Threat to Law & Order विषय पर श्री अरूण कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, उत्तरप्रदेश ने प्रतिभागियों से अपने विचार साझा किये। उन्होंने Strategies to Combat Organized Crime with Some Case Studies विषय पर भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

कोर्स के दूसरे दिन डॉ. बी.बी. मिश्रा, नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो ने Drug Trafficking in India, An Overall View & Emerging Trends and Strategies to Combat विषय पर बोलते हुये संगठित गिरोहों की नशीले पदार्थों की तस्करी में उनकी संलिप्तता एवं कार्यशैली का उल्लेख किया। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में नॉरकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो तथा पुलिस की भूमिका का उल्लेख करते हुये नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के उपाय भी बताये। द्वितीय सत्र में संगठित गिरोह पर श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी के नेतृत्व में प्रतिभागियों का समूह विमर्श हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने विषय पर अपने–अपने अनुभव साझा करते हुये संगठित गिरोहों पर नियन्त्रण के विभिन्न तरीके भी बताये। Violent Property Offences by Organized Gangs with Some case Studies पर डॉ. गिर्राज लाल मीना, उप महानिरीक्षक पुलिस सी.आई.डी.सी.बी. जयपुर ने व्याख्यान दिया। Mafia Operations in Various Fields Including Hawala Transactions विषय पर सुश्री सविता बुन्दास, संयुक्त निदेशक अन्वेषण, आयकर विभाग जयपुर ने प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

कोर्स के तीसरे दिवस के प्रथम सत्र में Underworld Operations-A Threat to National Security and Practical Strategies to Combat Organized Crime विषय पर बोलते हुये श्री डी. शिवानन्दन, पूर्व महानिदेशक पुलिस, महाराष्ट्र ने माफिया गिरोहों के आपसी सम्पर्क तथा कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये मुम्बई महानगर में इनके नियन्त्रण में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने माफिया गिरोहों पर नियन्त्रण के लिये पुलिस में व्यावसायिक दृष्टिकोण तथा कार्य दक्षता को अतिशय जरूरी बताया। उन्होंने संगठित गिरोहों के विरुद्ध चलाये

गये अभियान के दौरान रीयल एस्टेट से सम्बन्धित कुछ सफल मामलों की Case Study भी प्रतिभागियों को बताई। Money Laundering से सम्बन्धित मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका तथा आर्थिक अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में श्री हिमांशु कुमार लाल, संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। Wildlife Crime in India and Strategies to Combat विषय पर श्री श्याम भक्त नेगी, संयुक्त निदेशक, वाइल्ड लाईफ क्राईम कन्ट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली ने देश में वाइल्ड लाईफ अपराधों की तस्वीर पेश की तथा संगठित गिरोहों की भूमिका का उल्लेख करते हुये उन पर नियन्त्रण के उपाय बताये।

भारत में संगठित अपराध गिरोहों के नवीनतम तरीकों तथा उन पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान ने Case Studies के माध्यम से प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री एस.वी.के. सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध नई दिल्ली ने Organized Crime in the Capital city of Delhi; Operations & Coordination पर व्याख्यान दिया। श्री एस.के. गुप्ता, ए.ए.जी. राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने गम्भीर संगठित अपराध गिरोहों के मामलों में सजा के प्रतिशत में सुधार के उपाय बताये। सेवानिवृत माननीय न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट श्री दिलीप सिंह ने न्यायपालिका की संगठित अपराध गिरोह के मामलो में पुलिस से अपेक्षाओं पर व्याख्यान दिया। Use of cell phone, Internet& Computers in Organized Crime–Tips for Investigation पर श्री एन.के. सरवडे, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी तथा Naxalism as Organized - Crime Causes & Perception - Strategies to Combat विषय पर लेफ्टीनेंट जनरल वी.के. आहलूवालिया ने व्याख्यान दिया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस राजस्थान पधारे। इस अवसर पर बोलते हुये उन्होंने कहा कि अपराधी गिरोहों का कार्य काफी उलझा हुआ होता है। संगठित अपराधी गिरोह सभी प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं एवं मान्यताओं के विरुद्ध होते हैं एवं स्थापित व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इस संबध में उन्होंने सुझाव दिया कि संगठित अपराध धन के लिये किये जाते हैं। अतः इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि अपराधी अवैध रूप से अर्जित सम्पति का उपभोग नहीं कर सकें। उन्होंने अपराधियों से सम्बन्धित आंकड़े साझा करने पर भी बल दिया।

राज्य स्तरीय मानव अधिकार वाद–विवाद प्रतियोगिता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सोजन्य से प्रति वर्ष पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय मानव अधिकार प्रतियोगिता राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित करवायी जाती है। इस प्रतियोगिता में रेंज स्तर पर चयनित अभ्यर्थी भाग लेते हैं। प्रतियोगिता हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित करवाई जाती है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता 26 फरवरी 2014 को आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय ''मानव अधिकारों के संरक्षण से ही न्याय, शान्ति एवं विकास सम्भव है'', रखा गया। प्रतियोगिता में कुल 23 प्रतिभागी शामिल हुए जिसमें 22 प्रतिभागियों ने हिन्दी में व एक प्रतिभागी ने अंग्रजी भाषा का चुनाव किया। निर्णायक मण्डल द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर श्री शैतानाराम कानि. 1024 जिला झुझुनू, श्री उदय सिहं हैड कानि. 106, 10वीं बटालीयन आर.ए.सी. एवं श्री अरविन्द कुमार कानि. 353 द्वितीय बटालीयन आर.ए.सी. ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगीता का लक्ष्य पुलिसकर्मियों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। प्रतियोगिता के पक्ष में बोलने वालों ने प्रकरणों के अनुसंधान एवं पूछताछ में वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया तथा नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने को उचित बताया। आज भी कई प्रतिभागी आतंकवादियों एवं अन्य गंभीर अपराधियों का उल्लेख करते हुए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण करना मुश्किल मानते है।

इस अवसर पर डॉ. एम.के. देवराजन ने मानव अधिकारों पर अपने विचार प्रकट करते हुए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मानव अधिकारों के संरक्षण को अतिशय महत्वपूर्ण बताया।

साईबर क्राईम पर वर्कशॉप

विश्व में आर्थिक अपराध आज प्रमुख समस्या का रूप ले रहे हैं। आर्थिक अपराधों में भी साईबर अपराध अधिक गंभीर चुनौती हैं। जिन अपराधों में तकनीकी अथवा गजट काम में लिये जाते हैं उनमें अनुसंधान अधिकारी को भी उस तकनीक अथवा गजट की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। साईबर अपराधों में अपराधी जिस व्यक्ति को निशाना बनाता है, उस व्यक्ति को प्रायः स्वयं व्यक्तिगत नहीं जानता है। कई बार तो अपराध किसी दूसरे महाद्वीप से संचालित हो रहे होते हैं। इस प्रकार अपराधी न तो पीड़ित की पहुँच में होता है और न ही पुलिस की पहुँच में होता है। इस प्रकार के अपराधों के अनुसंधान में तकनीकी रूप से दक्ष होना अतिशय जरूरी है। पुलिसकर्मियों को साईबर अपराधों में दक्ष बनाने के उद्देश्य से बी.पी.आर.एण्ड डी. के सहयोग से राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 03.03.2014 से 14.03.2014 तक ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज'' विषय पर उपनिरीक्षक पुलिस से उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

दो सप्ताह के प्रशिक्षण में साईबर अपराधों की समझ एवं व्यावहारिक पहलू विषय पर अकादमी के उपनिदेशक श्री ओमप्रकाश ने प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री गौरव श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक एससीआरबी ने साईबर अपराधों का परिचय तथा वर्तमान में साईबर अपराधों की प्रवृति पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के साईबर अपराधों का अनुसंधान एवं घटनास्थल का प्रबंधन, अपराध स्थल पर विभिन्न वस्तुओं की जब्ती की प्रक्रिया, साईबर युग एवं इसके खतरे, ई–मेल ट्रेकिंग, फिसिंग, सोशियल साईटस का अपराधों में प्रयोग विषयों पर व्याख्यान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में एफएसएल जयपुर के सहायक निदेशक श्री शैलेन्द्र झा द्वारा डिजिटल साक्ष्य के स्रोत तथा जब्ती की प्रक्रिया तथा श्री प्रतीक कासलीवाल एडवोकेट ने सूचना प्रोद्योगिकी संशोधित अधिनियम 2008 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के सबंध में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के श्री शेखर एवं श्री मनप्रीत द्वारा तथा प्रोक्सी सर्वर व आईपी लॉग्स पर श्री मुकेश चौधरी द्वारा, सेल्यूलर टेलीफोनी एवं मोबाईल ट्रेकिंग विषय पर श्री संजय कुमार द्वारा प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के विदाई सत्र में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की तथा इस प्रकार के अपराधों के बारे में अपने अनुभव साझा किये।

मानवाधिकारों पर एडवांस लेवल ट्रेनिंग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली पुलिसकर्मियों में मानव अधिकारों के प्रति संवेदना एवं जागरुकता पैदा करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। आयोग द्वारा प्रतिवर्ष मानवाधिकारों पर वाद–विवाद प्रतियोगिता जिला अथवा यूनिट स्तर पर, रेन्ज स्तर पर एवं राज्य स्तर पर करवायी जाती है। राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 20 एवं 21 मार्च 2014 को मानव अधिकार पर एडवांस लेवल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग के उद्घाटन सत्र में डॉ. एम.के. देवराजन सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रोटेक्सन ऑफ ह्यूमन राईट्स एक्ट के साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने मानवाधिकार को परिभाषित करते हुये बताया कि मानवाधिकार स्वतन्त्रता, समता एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ भारत में भी लागू होती हैं अगर उन संधियों को भारत के किसी कानून में स्थान दिया गया है। उन्होंने प्रदूषित हवा एवं पानी के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के फैसलों का उल्लेख करते हुये अशुद्ध हवा एवं पानी को जीवन जीने के अधिकार में बाधक बताया। उन्होंने कहा कि हमें व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकार आयोग न्यायालय से सम्बन्धित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पदस्थापित उप महानिरीक्षक पुलिस, श्री विप्लव कुमार चौधरी ने आयोग द्वारा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का उल्लेख करते हुये बताया कि पुलिस मूठभेड़ में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 48 घण्टे में सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचना प्रेषित करनी होती है। उन्होंने परिवादों के निस्तारण के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने मानव अधिकारों के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधानों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राईट्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में भी बताया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त पुलिस अभिरक्षा में यातना अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में तथा पुलिस कार्यवाही में मृत्यु अथवा व्यक्तियों के गायब होने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों के बारे में श्री एम.एम. अत्रे, सेवानिवृत, महानिरीक्षक पुलिस द्वारा

शेष पृष्ठ 14 पर ...

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में कविता को स्वर्णपदक

प्रतिवर्ष पुलिस कार्यों में दक्षता लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हरियाणा के मधुवन में दिनांक 07.03.2014 से 14.03.2014 तक 57वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट –2013 आयोजित की गई। इस ड्यूटी मीट में भाग लेने के लिए राजस्थान पुलिस टीम का चयन किया गया। टीम के लिए चयनित खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 24.02.2014 से तैयारी करवायी गयी। राजस्थान पुलिस टीम के मैनेजर श्री परमेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की तथा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनका मार्गदर्शन किया। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में अब तक का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं है परन्तु उसमें उत्तरोतर सुधार हो रहा है। इस वर्ष राजस्थान पुलिस टीम का प्रदर्शन अखिल भारतीय स्तर पर काफी अच्छा रहा है।

इस वर्ष श्रीमती कविता शर्मा उप निरीक्षक, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस का नाम रोशन करते हुये अनुसंधान में विधि विज्ञान की सहायता (लिखित) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी प्रतियोगिता में श्री धीरज वर्मा, उप निरीक्षक ने छठा स्थान प्राप्त किया। श्रीमती कविता शर्मा ने मेडीकोलीगल प्रतियोगिता में भी चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में फिंगर प्रिंट प्रतियोगिता में श्री कमल सिंह, पुलिस निरीक्षक ने चतुर्थ व श्री धीरज वर्मा, उप निरीक्षक ने पंचम स्थान प्राप्त किया। कानून एवं प्रक्रिया (लिखित) प्रतियोगिता में श्री कमल सिंह, पुलिस निरीक्षक एवं श्री धीरज वर्मा, उप निरीक्षक ने संयुक्त रुप से छठा स्थान प्राप्त कर राजस्थान पुलिस का नाम राष्ट्रीय स्तर की मीट में उल्लेखनीय रुप से दर्ज करवाया है।

अखिल भारतीय बैण्ड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस को सिल्वर मेडल

राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड ने गोहाटी में 10 फरवरी से 15 फरवरी 2014 तक आयोजित 14 वीं अखिल भारतीय बैण्ड प्रतियोगिता में सिल्वर मैडल प्राप्त किया है। राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड का उत्कृष्ट प्रदर्शन का सिलसिला वर्ष 2006 से शुरू हुआ जहाँ राजस्थान पुलिस सेन्टर बैन्ड टीम ने ब्रान्ज मैडल प्राप्त किया। यह मैडल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि सेन्ट्रल बैन्ड का गठन वर्ष 2005 में ही किया गया था। मात्र एक वर्ष के अभ्यास के पश्चात् समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस के साथ ही केन्द्रीय पुलिस संगठनों के साथ भी हमारी टीम का मुख्य मुकाबला था। हमारी टीम मेजर नाजिर हुसैन द्वारा तैयार की गई थी जो स्वंय अखिल भारतीय स्तर के उच्च कोटि के प्रशिक्षक हैं। प्रथम प्रतियोगिता में मैडल प्राप्त करने से जैसे राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैन्ड टीम के हौसलों को पंख लग गये। अगले ही वर्ष हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुये अखिल भारतीय बैण्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। केन्द्रीय पुलिस संगठनों की टीम के मुकाबले किसी राज्य की पुलिस द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त करना सभी के लिये चौंकाने वाला था। बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ राजस्थान पुलिस टीम को प्रमुख प्रतिद्वन्दी के रूप में देखने लगे।

राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम राजस्थान पुलिस अकादमी में अकादमी के निदेशक के संरक्षण में अभ्यास करती है। सेन्ट्रल बैण्ड द्वारा राज्य स्तर के अनेक कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुति दी गई। वर्ष 2012 में कर्नल विक्टर दुराई सामी द्वारा पुनः प्रशिक्षण दिया गया। गत वर्ष राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम अखिल भारतीय बैण्ड प्रतियोगिता में चतुर्थ स्थान पर रही थी।

घुड़सवारी में राजस्थान पुलिस का उत्कृष्ट प्रदर्शन

32वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी एवं माउण्टेड पुलिस ड्यूटी मीट 2013 का आयोजन अहमदाबाद में 02 जनवरी 2014 से 10 जनवरी 2014 तक आयोजित की गयी।

इस वर्ष राजस्थान पुलिस को घुड़सवारी प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक प्राप्त हुये है। शो जम्पिंग फॉल्ट एण्ड आउट में श्री नेमीचन्द कानि. राजस्थान पुलिस अकादमी ने रजत पदक प्राप्त किया। श्री सुदेश कुमार कानि0 पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने शो जम्पिंग प्रिलिमिनरी में रजत पदक प्राप्त किया। वहीं श्री फूल सिंह कानि0 जिला करौली ने शो जम्पिंग प्रिलिमिनरी फॉल्ट एण्ड आउट में रजत पदक प्राप्त किया। सईस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस अकादमी के श्री रामेश्वर लाल ने भी रजत पदक प्राप्त किया है। टेन्ट पेंकिंग (टीम) प्रतियोगिता में भी श्री मंगेज, श्री जितेन्द्र, श्री राकेश, श्री बबलू की टीम ने रजत पदक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। राजस्थान पुलिस अकादमी के श्री महेश कुमार कानि. ने ड्रेसाज नोविस प्रतियोगिता में कास्य पदक प्राप्त किया है। इस वर्ष राजस्थान पुलिस की टीम कुल 05 रजत व 01 कास्य पदक के साथ अब तक के सर्वाधिक पदक प्राप्त करने में सफल रही है।

राजस्थान पुलिस की घुड़सवारी टीम को श्री रणवीर सिंह कम्पनी कमांडर के नेत्तृत्व में गत चार वर्षों से निरन्तर अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2010 की प्रतियोगिता में पंचकुला भानु (चंडीगढ़) में श्री भगवतदास हैड कानि0 ने शो जम्पिंग नोविस–नोर्मल में स्वर्ण पदक तथा शो जम्पिंग नोविस फॉल्ट एण्ड आउट में रजत पदक प्राप्त कर राजस्थान पुलिस को प्रथम बार सीरोही चैलेन्ज टॉफी दिलवाने में सफलता प्राप्त की। वर्ष 2011 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में भी श्री भगवतदास ने टॉप स्कोर मिडियम नोर्मल प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में श्री रामकिशन सईस ने भी सईस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। शो जम्पिंग एन. जी.ओ. अंडर ट्रैनिंग में कानि0 अशोक कुमार ने कास्य पदक प्राप्त किया तथा श्री भूरसिंह सईस ने भी सईस प्रतियोगिता में कास्य पदक प्राप्त किया। पदकों का सिलसिला निरन्तर जारी रहा तथा 31वीं ए.आई.पी.एन. 2012 में मुरादाबाद में श्री मंगेज सिंह कानि0 राजस्थान पुलिस अकादमी ने हैक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा ड्रैसाज नोविस में भी कास्य पदक प्राप्त किया। सईस प्रतियोगिता में श्री मुकेश कुमार सईस कास्य पदक प्राप्त करने में सफल रहा।

राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम के मैनेजर श्री रणवीर सिंह, कम्पनी कमाण्डर ने वर्ष 2010 में संचित निरीक्षक रिसाला का कार्यभार ग्रहण किया था। श्री रणवीर सिंह एवं उसकी घुड़सवार टीम वर्षभर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पूर्ण मनोयोग से जुटी रहती है। इस कार्य में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के पूर्व प्रशिक्षक श्री मोहम्मद अकबर का भी सहयोग मिलता रहता है क्योंकि श्री अकबर को राजस्थान पुलिस घुड़सवारी के टीम के प्रशिक्षण के लिए समय–समय पर सेवायें देने के लिए लगाया जाता है। सेवानिवृत ब्रिगेडियर श्री गोविन्द सिंह राठौड़ भी टीम के मार्गदर्शन के लिए अकादमी में आते रहें हैं। श्री भगवतदास ने राजस्थान पुलिस को विभिन्न प्रतियोगिताओं में अब तक चार मेडल दिलवाये है। श्री मंगेज सिंह भी राजस्थान पुलिस टीम को तीन पदक दिलवाने में सफल रहा है। दोनों ही घुड़सवार अन्य घुड़सवारों के लिए प्रेरणा बने हुये है।

राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं अकादमी के निदेशक द्वारा टीम को बधाई दी गई। टीम के विजेताओं एवं प्रशिक्षकों को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया गया।

मृतक आश्रितों को सहायता

गत दिनों अकादमी में कार्यरत दो कर्मचारियों के असामयिक निधन से अकादमी स्टाफ को गहरा धक्का लगा। अकादमी के श्री विजय सिंह, कानिस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। श्री भूर सिंह, सईस की बीमारी के पश्चात् मृत्यु हो गई। दोनों ही अकादमी के होनहार कर्मचारी थे तथा सभी साथियों के प्रिय भी थे। भूर सिंह, सईस तो अखिल भारतीय पुलिस अक्वेस्टेरियन मीट में वर्ष 2011 में हैदराबाद में राजस्थान पुलिस के लिए कास्य पदक भी लेकर आया था। इनकी मानवीयता एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण के सभी लोग कायल थे। गुरूवार को स्टाफ की होने वाली मीटिंग में कर्मचारियों के वेलफेयर सम्बन्धी जब सुझाव मांगे जा रहे थे तो बहुत से साथियों ने एक साथ दोनों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की इच्छा प्रकट की। निदेशक महोदय ने तुरन्त ही सहायता की राशि के लिए पूछा तो सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि उप अधीक्षक पुलिस एवं ऊपर की रेंक के सभी अधिकारी 1500 रूपये सहायता राशि के रूप में देगें। निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के लिए 1000 रूपये की राशि निर्धारित की गई। कानिस्टेबल एवं हैड कानिस्टेबल से 500 रूपये सहातार्थ राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी सहायता में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की तथा प्रत्येक ने 300 रूपये सहायतार्थ देने के लिए कहा। उपरोक्त राशि संचित निरीक्षक श्री ज्ञान सिंह के पास जमा करवाई गई। कुल एकत्रित राशि दो लाख दो हजार हुई। उक्त राशि आधी–आधी दोनों मृतकों के परिजनों को सहायतार्थ प्रदान की गई।

अकादमी केवल एक संस्था नहीं अपितु एक परिवार भी है। यहाँ पर अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी लम्बे समय से पदस्थापित है। लम्बे समय के साथ के कारण सभी एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा सुख–दुख में एक–दूसरे के काम आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहॉ संवेदनाओं से परिपूर्ण है एवं अनेक अवसरों पर उनका मानवीय चेहरा देखने को मिलता हैं। जब स्व. श्री विजय सिंह एवं स्व. श्री भूरसिंह की बेवा अचानक पति के देहान्त के कारण आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी, अकादमी परिवार द्वारा दी गई राशि से उन्हें पेंशन होने तक कुछ राहत मिली।

स्व. श्री विजय सिंह के परिवार में उसकी पत्नी श्रीमती विमलेश कंवर एवं पुत्र अजय सिंह तथा जितेन्द्र सिंह एवं पुत्री प्रियंका कवंर है। स्व. श्री भूर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी श्रीमती जमुना देवी एवं पुत्र देवेन्द्र सिंह एवं पुत्रियां हेमलता एवं पूनम है। अकादमी परिवार निरन्तर उनकी सहायता एवं सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

पृष्ठ 11 का शेष ....

प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई। जेल सम्बन्धी मामलों में अन्वीक्षाधीन कैदियों के अधिकारों तथा उनके रेमिशन एवं पेरोल सम्बन्धी मामलों के बारे में श्री राधाकान्त सक्सेना सेवानिवृत महानिरीक्षक जेल ने विस्तृत जानकारी प्रदान की ।

महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में कार्यस्थल पर यौन हिंसा के सम्बन्ध में शिकायत की प्रक्रिया, महिलाओं की तस्करी, उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा से सम्बन्धित कानून तथा कन्या भ्रूण हत्या एवं भ्रूण की जाँच आदि के सम्बन्ध में श्री विजयपाल सिंह, परामर्शदाता यूनिसेफ ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। बालकों से सम्बन्धित अधिकारों तथा गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी के शिकार बालकों के सम्बन्ध में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा बताया गया। बन्धुवा मजदूर, बाल श्रमिक, एससी/एसटी से सम्बन्धित कानूनों पर श्री विजय गोयल द्वारा जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने फोरेस्ट राईट्स एक्ट 2006 के बारे में जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में श्री भगवान लाल सोनी निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने प्रतिभागियों को पुलिस सुधारों के बारे में बताते हुये पुलिस में मानव अधिकारों पर शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया।

एक शाम वतन के नाम

पुलिसकर्मियों में छिपी हुई प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राजस्थान पुलिस अकादमी में 26 जनवरी, 2014 को आयोजित ''एक शाम वतन के नाम'' कार्यक्रम इसी बात का साक्षी था। रंगमंच पर जब पुलिस प्रशिक्षु कलाकारों द्वारा मुंशी प्रेमचन्द का नाटक पंच परमेश्वर मंचित किया गया तो कोई यह अन्दाज नहीं लगा पाया कि नाटक के पात्र व्यवसायिक व्यक्ति है या पुलिसकर्मी। हमेशा ट्रेफिक के चौराहों पर मुस्तेद रहने वाले, थानों में तफ्तीश में जुटे हुए या नकारात्मक खबरों से सुर्खियॉ बटारोने वाले खाकी में सृजन की अनोखी खूबियाँ दिखाई दी। उनके अभिनय एवं संवाद अदायगी के कौशल ने सभी को तालियॉ बजाने पर विवश कर दिया। नाटक के मंचन में अच्छाई की बुराई पर जीत का सन्देश था।

जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो सभी के जहन में एक ही सवाल था कि क्या पुलिस कर्मी भी अच्छा अभिनय कर सकते है। डा0 रूपा मंगलानी एवं उनकी टीम जब तैयारियों में जुटी थी तो उन्हें अनेक सवालों से रूबरू होना पड़ा यथा भला ये सब हमारे क्या काम आएगा? इससे क्या होगा? पुलिस का जवान और रंगमंच पर नाटक, इसका क्या मेल है ? हमारे पुलिस सेवा संगठन में इन सबका कोई वास्ता नहीं है। लोक नृत्य, लघु नाटक, प्रदर्शन– यह तो हमने कभी किया ही नहीं है। अब इस उम्र में हम मंच पर जायेगे तो साथी प्रशिक्षु और दर्शक क्या कहेगें। हमें कहीं अभिनीत पात्र के नाम से तो नहीं बुलाया जाएगा, आदि – आदि।

अनेक बार की समझाइश के बाद आखिर कुछ कदम आगे बढ़े, कुछ हाथ उठ खड़े हुए और चला तैयारी का दौर। एक हफ्ते की प्रेक्टिस के दौरान कई नाम जुड़े, कई नाम हटे। अंतिम सूचियों में फेरबदल हुआ। नये चेहरे जुड़े। आखिरकार महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द की कहानी पंच परमेश्वर का नाट्य रूपान्तरण, जो नये परिवेश एवं प्रस्तुतीकरण के अनुकूल लिखा गया था, मंचित किया गया। जैस–जैसे तैयारी होती गयी वैसे–वैसे प्रशिक्षुओं में आत्मविश्वास बढ़ता गया। दरअसल उन्हें यह समझ में आने लगा था कि मंच पर प्रतिभा दिखाना कोई छोटा या सरल काम नहीं है और न ही पुलिस के जवान के हौंसले

को कम करता है। धीरे–धीरे वैचारिक रोशनदान की खिड़कियाँ खुलने लगी। वाणी का कौशल और श्रेष्ठ प्रदर्शन की चाह भी बढ़ने लगी। प्रशिक्षु स्वयं प्रस्तुतीकरण के संबंध में सुझाव देने लगे। आयोजन समिति के लिए चाल, वेशभूषा, संवाद अदायगी और मंच सज्जा के लिए प्रशिक्षुओं के अचानक आये ये सुझाव सुखद अनुभूति देने वाले थे। मंच व्यवस्थाओं के साथ–साथ मंच के पीछे प्रशिक्षुओं को अनुशासित रखना, तालमेल बनाने और समन्वय के कार्य के दौरान मानवीय अच्छाईयों, अटपटेपन, रोचकता और विकृतियों की एक नयी रंगत सामने आने लगी।

कार्यक्रम की शुरूआत लघु फिल्म से हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति गीत भी प्रस्तुत किये गये। मंच पर परेड के विभिन्न पैटर्न भी दिखाये गये जिसमें आरपीए एवं जय हिन्द का पैटर्न काफी आकर्षक था। अकादमी के निदेशक ने भी इस अवसर पर गीत गाकर सभी का मनोरंजन किया।

निवेदन

राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लेटर के माध्यम से हम अकादमी एवं राजस्थान पुलिस की गतिविधियों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपको जानकारी देते रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा आपेक्षित रहेगा। अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करने का श्रम करें।

संपादक

Editorial Board

Editor in Chief
Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Om Prakash (DD)
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)
Saurabh Kothari (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : NJSP, Jaipur # 0141-2365721